राजस्थान सरकार

समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक एफ–11(2)/नो/आईसीडीएस/08/39919 जयपुर,दिनांक 16.6.09

एफ–21/एनआरएचएम/आशा कन्वर्जेन्स/08/ जयपुर,दिनांक

परिपत्र

राज्य में संचालित किये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थित होने वाले 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं की पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल करने में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा समेकित बाल विकास सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्य स्तर पर इन सेवाओं की समीक्षा में यह पाया गया कि दोनों विभागों द्वारा संकलित की गई प्रगति की सूचना में अभी तक निरन्तरता तथा एकरूपता का अभाव है। इसका कारण मुख्यतया दोनों विभागों में सूचनाओं का आपसी आदान–प्रदान नहीं किया जाना है। इस संदर्भ में पूर्व में समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक प.26(4) एनआरएचएम /टीएससी/आईसीडीएस/08/55783–849 दिनांक 23.09.08 भेजा गया था जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। इन आदेशों के अनुसार आशा सहयोगिनी के कार्यो की समीक्षा हेतु जिला, खण्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी स्तर पर समितियाँ गठित कर उनकी मासिक बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

इस स्थिति में सुधार हेतु यह अपेक्षित हे कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिमाह प्रगति समकों की संयुक्त समीक्षा की जाए एवं उसके उपरान्त ही सूचनाएँ राज्य स्तर पर भेजी जाए। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रतिमाह आंगनबाड़ी क्षेत्र में हुए शिशु जन्म, शिशु एवं बाल मृत्यु, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, टीकाकरण कार्य, रेफरल कार्ड, अति कुपोषित बच्चों की पहचान एवं रेफरल सेवा, स्वास्थ्य दिवस का आयोजन, वृद्धि निगरानी, संस्थागत प्रसव, जन्म के समय वजन आदि गतिविधियों के समकों की प्रतिमाह विभिन्न स्तरों पर संयुक्त समीक्षा की जाए एवं निम्न व्यवस्था तत्काल प्रभावी करें:–

1. प्रतिमाह परिक्षेत्र/पीएचसी स्तरीय बैठकों में पर्यवेक्षक, एल.एच.वी., आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. तथा आशा सहयोगिनियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर एकत्रित सूचनाओं का मिलान एवं आदान प्रदान किया जाए।
2. उपरोक्तानुसार एकत्रित सूचनाओं की प्रतिमाह बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं ब्लॉक सीएमएचओ समीक्षा करें एवं संयुक्त हस्ताक्षरों से सूचनाएँ जिला कार्यालय को भिजवायें।

3. खण्डों/परियोजनाओं से प्राप्त सूचनाओं की प्रतिमाह उप निदेशक एवं सीएमएचओ के स्तर पर समीक्षा उपरान्त ही प्रगति सूचनाएँ निदेशालय को भिजवाई जाए।
4. इस व्यवस्था हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी समन्वयक होंगे तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

इस व्यवस्था के प्रभावी होने से जहाँ एक ओर लाभार्थियों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्राप्त होगी वही प्रगति सूचनाओं में एकरूपता एवं निरन्तरता भी स्थापित होगी तथा समकों की विश्वसनियता भी कायम हो सकेगी। कार्यक्रम क्रियान्वयन में खामियों की पहचान करने एवं उनके निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने में यह व्यवस्था उपयोगी होगी। इस हेतु आप द्वारा की गई कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करायें।

निदेशक (आरसीएच) 8/6/09
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

निदेशक
समेकित बाल विकास
सेवाएँ राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ–11(2)/मो/आईसीडीएस/08/39920-987 जयपुर,दिनांक 16.6.09
एफ–21/एनआरएचएम/आशा कन्वर्जेन्स/08/ जयपुर,दिनांक

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव– अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला अधिकारिता एवं कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राज. जयपुर।
3. निजी सचिव–शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
4. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राज., जयपुर।
5. निजी सचिव–शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त सीएमएचाओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
7. समस्त उपनिदेशक, आईसीडीएस।

निदेशक (आरसीएच) 8/6/09
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

निदेशक
समेकित बाल विकास
सेवाएँ राजस्थान, जयपुर